



फर्द अहकाम


मालिय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर


नाम वाळाराम विपक्षी मनोहर लाल
 पत्रावली संख्या 75LP/20 सन् _____


कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

5/1/24
 वकुलाय बादी / प्रतिवादी उप, तलवी
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त
 भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/2/25
 को पेश हो।

 SDO मावली

18/2/25
 पत्रावली पेश 5, वकील प्राप्ती/अपीलागण/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रैसों उपस्थित/पीठाधीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिडिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 पंक 2/4/25 को पेश हो।


2/4/25
 वकुलाय बादी / प्रतिवादी उप, तलवी
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त रैसों को पेश कर
 भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9/6/25
 को पेश हो।

 SDO मावली

9/6/25
 पत्रावली पेश हुई। अति. अपिला 02 उप।
 अति. अपिला 02 डारा तलवी का भ्रवसर पाया।
 आगामी पेशी पर कालाश्रम रूप से तलवी पेश
 करें। पत्रावली वास्तु तलवी दिनांक 9/7/25 को
 पेश हो।


21/7/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/सोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मिडिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 15/9/25

 SDO

15/01/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी रूप तलवी
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 29/01/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

29/1/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रूप।
उपरिष्ठत अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी काज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पकने है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 15/1/25 को पेश हो।

15/1/25

वकुलाय वादी/प्रतिवादी रूप तलवी
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 15/1/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

15/1/25

वकुलाय वादी/प्रतिवादी रूप तलवी
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 31/1/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

23/04/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट मय
स्वयं अपीलान्ट (अनुपस्थित) अधिवक्ता अपीलान्ट
मय स्वयं अपीलान्ट को बार-बार आवजे दिलवाई
गई। समय साँध 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं
अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता अपीलान्ट मय स्वयं अपीलान्ट
अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट की अपील अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय लुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली